FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत--------- **Court of The Divisional Commissioner Bharatpur (Raj.)---**

.....दारासिंह.पुत्र स्व0 जौहरीनाथ......**बनाम**........अधिशाषी अधिकारी न0 पा0 गंगापुरसिटी

.... किस्म मुकदमा.. विविध 01 / 2024.........अंतर्गत धारा 151 व 152 सी पी सी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
30.1.2024	वकील प्रार्थी श्री मोहन सिंह राना उपस्थित। मूल अपील तलब होकर शामिल फायल है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0 दिनांक 26.12.2023 पर सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपील उनवानी जौहरीनाथ बनाम अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गंगापुरसिटी प्रकरणसंख्या 42 / 2011 को दिनांक 31.01.2018 को निर्णित कर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है। यह कि न्यायालय हाजा के निर्णय में खसरा नम्बर 5488 का रकबा 1.14 है0 के स्थान पर टाईपिंग मिस्टेक से रकबा 1 बीघा 14 विस्बा अंकित हो गया है जबकि अपील में भी रकबा 1.14 अंकित किया था। उक्त मिस्टेक टाईपिंग मिस्टेक व सदभावी त्रुटी है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि जौहरीनाथ मूल अपीलान्ट का देहान्त हो गया है जिसके प्रार्थीगण वारिसान है व वारिसान को दुरूस्ती की कार्यवाही करने का अधिकार है इसलिऐ प्रकरण की मूल अपील संख्या 42 / 11 जौहरीनाथ बनाम राज0 सरकार निर्णय दिनांक 31.1.2018 तलब कर निर्णय दिनांक 31.1.2018 न्यायालय हाजा में खसरा नम्बर 5488 का रकबा 1 बीघा 14 विस्बा के स्थान पर रकबा 1.14 हैक्टे0 दुरूस्त कर इस आशय का नोट निर्णय में अंकित किया जाने के आदेश पारित किये जावे। वकील प्रार्थी कथनों पर गौर किया तथा मूल पत्रावली व उसमें संलग्न न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 31.1.2018 एवं प्राधिकृत अधिकारी एसडीओ गंगापुरसिटी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.3.2001 के अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपनी मूल अपील में जहां जहां रकबा खोलने की आवश्यकता हुई है खसरा नम्बर 5488 रकबा 1.1400 अंकित किया है। इसी प्रकार एसडीओ गंगापुरसिटी के निर्णय दिनांक 2.3.2001 में भी जहां रकबा खोलने की आवश्यकता हुई है वहां खसरा नम्बर 5488 रकबा 1.14 अंकित किया गया है। लेकिन न्यायालय हाजा के निर्णय में खसरा नम्बर 5488 रकबा 1 बीघा 14 विस्बा अंकित है। ....PTO	

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
30.1.2024	ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के कथनों से सहमत होते हुये न्यायालय हाजा के निर्णय में तदनुसार नोट अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो जाता है। अतः प्रार्थना पत्र 151 सी पी सी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि न्यायालय हाजा की पूर्व निर्णित अपील संख्या 42/11 जौहरीनाथ बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31.1.2018 पर लाल स्याही से तदनुसार यह नोट अंकित किया जावे कि.....'' **आदेशिका दिनांक 30.1.2024 की पालना में इस निर्णय में जहां कहीं भी रकबा 1 बीघा 14 विस्बा अंकित है उसे 1.14 हैक्टेयर पढा जावे।**.........'' इस बाबत मूल निर्णय पर दुरूस्ती का नोट अंकित किया जावे। इसके साथ ही इस आशय की एक समरी ऑर्डरशीट मूल अपील की आदेशिका पर भी अंकित की जावे। यह विविध पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति मूल अपील के साथ संलग्न कर मूल अपील के साथ दाखिल दफ्तर की जावे। (सांवरमल वर्मा) **संभागीय आयुक्त** **भरतपुर**	